न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 49 / 2018

निर्णय दिनांक– 12.07.2019

उनवान

1.बंशीलाल पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक –वादी

बनाम

1.बुद्विप्रकाश पुत्र श्योजी जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.विनोद पुत्र बुद्विप्रकाश जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक
3.ऐरन्ता पुत्री बुद्विप्रकाश जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री बी0एल0 कासलीवाल वकील वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह है कि वादी के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0न0 314 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम खेडली तहसील उनियारा मे स्थित है। जिस पर वादी ने चारो तरफ सीमेन्ट के चीरे गाडकर तारबन्दी कर रखी है। प्रतिवादीगण का वादी की उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व उत्तर दिशा मे प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। वादी व प्रतिवादीगण के खोतों के मध्य मेर पडी हुयी है। वादी राजकीय सेवा मे होन के कारण अधिकांश समय बाहर रहता है तथ आधेलियां के माध्यम से अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आरजी को काश्त करवाता है। वादी के बाहर रहने के कारण प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आने लग गई है तथा वह ऐन केन प्रकारेण वादी को परेशान कर वादग्रस्त आराजी को हडपना चाहते है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। दिनांक 9.6.2018 को प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी की पूर्वी उत्तर मेड पर तोड फोड करने लगे तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा हो गये। इस कारण यह वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह है कि वादी की अधियाचना है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 314 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम खेडली तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना ही चीरे व तारबन्दी तोडे और ना ही कब्जा करने का प्रयास करे।

Scanned by CamScanner

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 20.8.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 पेश किये है।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान, पी.डब्लू. 1 बंशीलाल , पी.डब्लू. 2 महावीर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादी के वकील की बहस सुनी गयी। वादी के वकील ने दोराने बहस कथन किया है कि वादी के खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण गिरोहबन्द एवं बदमाश किस्म के व्यक्ति है। जो वादी के खातेदारी की पूर्वी उत्तरी मेर पर लगे चीरे को तोडने पर तथा कब्जा करने पर आमादा है। उक्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वो ग्राम खेडली तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 314 रकबा 1.08 है0 वादी की खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण के बावजूद तामीली सूचना न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होना वादी के वाद का परोक्ष समर्थन है। साक्ष्य वादीगण से भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी , स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 314 रकबा 1.08 वाके ग्राम खेडली तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे। ना ही चीरे व तारबन्दी तोडे और ना ही कब्जा करने का प्रयास करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.बंशीलाल पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
—वादी

बनाम

1.बुद्विप्रकाश पुत्र श्योजी जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.विनोद पुत्र बुद्विप्रकाश जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक
3.ऐरन्ता पुत्री बुद्विप्रकाश जाति मीना निवासी बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित— 1. श्री बी0एल0 कासलीवाल वकील वादी

मुकदमा नम्बर :— 49 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सन्तोष कुमार मीना आर0ए0एस0 व हाजरी श्री बी0एल0 कासलीवाल वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी , स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 314 रकबा 1.08 वाके ग्राम खेडली तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे। ना ही चीरे व तारबन्दी तोडे और ना ही कब्जा करने का प्रयास करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 07 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner